

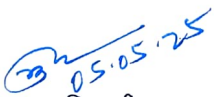
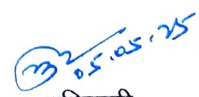
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 04/सन—2025— 26

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05.05.2025	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०— 04/2025— 26 आवेदक सुनील कुमार साव, पिता— हरि साव, साकिन— धनवार, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 07, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन तथा मापी प्रतिवेदन के उपरान्त पाया गया कि आवेदक की भूमि का जमाबंदी भौतिक पंजी— II में दर्ज नहीं है। आवेदक से पूछ— ताछ तथा भौतिक पंजी— II के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदक (केता) ने जिस व्यक्ति से भूमि कय किया था उस व्यक्ति (विकेता) का भी जमाबंदी भौतिक पंजी— II में कायम नहीं है। जिसके कारण आवेदक का जमाबंदी कायम करने के पश्चात किस भूमि (पंजी— II) से रकवा घटाया जाए (खारिज किया जाए) यह स्पष्ट नहीं हो रहा है और न ही आवेदक इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध करा पाने में सफल हुए हैं। अतः उक्त के आलोक में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	